न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 43/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–मॉगरोल (प्रार्थी)

बनाम

1–श्री मदनलाल आत्मज किशोरीलाल जाति–माली निवासी–सीसवाली तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री मदनगोपाल केवडा, अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 13.02.2020

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी श्री मदनलाल पुत्र किशोर माली निवासी सीसवाली के खाते 4008 रकबा 0.98 है0 ग्राम सीसवाली में आराजी दर्ज है। जो आराजी गत सेटलमेंट जमाबन्दी 2014 से 2023 के अनुसार ख0नं0 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वर्तमान सेटलमेंट 2044–63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 है0 कायम हुए जो अप्रार्थी के खाते दर्ज है जिसकी किस्म नहरी प्रथम है। इस प्रकार उक्त आराजी की सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया विक्रय नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटन ... विरूद्व मानते हुए आवंटन/विक्रय निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/विक्रय निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:31 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा दिनांक 30.03.2017 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 2248 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 है0 किस्म गै.मु.तलाई बताई गयी है वह सर्वथा गलत है। वस्तुत उक्त भूमि मौके पर कृषि योग्य भूमि है। इस भूमि पर ना तो कभी तालाब रहा है ना हीं तलाई है। गत 100 वर्षो से अधिक समय से भूमि कृषि कार्य में हीं प्रयुक्त हो रहीं है। उक्त आराजी अप्रार्थी ने तत्कालीन खातेदार लक्ष्मीचंद वल्द धूलीलाल नाई निवासी सीसवाली से खसरा नम्बर 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा जर्ये रजिस्टर्ड विकयपत्र तारीखी दिनांक 30.7.1980 को कय की है। पंजीकृत विकयपत्र बाबत सरकार की देय स्टाम्प ड्यूटी व शुल्क अप्रार्थी उत्तरदाता ने अदा की है। यह भूमि गॉव से लगभग 2 कि.मी. दूर चारो ओर से कृषि क्षेत्र से घिरी हुयी कृषि आराजी है। कृषि से अलावा अन्य उपयोग संभव नहीं है। अतः पंजीकृत विकयपत्र बाबत नोटिस की कार्यवाहीं समाप्त की जाकर, इसी स्तर पर ड्रोप फरमायी जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 है0 ग्राम सीसवाली सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्बा से बने है जिसकी किस्म गै.मु. तलाई थी। उक्त भूमि ना आवंटन/नियमन योग्य थी ना हीं विकय योग्य थी। अप्रार्थी ने उक्त भूमि विकेता लक्ष्मीचंद आत्मज धूलीलाल जाति—नाई नि. सीसवाली के जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र कय करना बताया है। उक्त भूमि आवंटी लक्ष्मीचन्द को विधि विरूद्व तरीके से आवंटन हुयी है, जो आवंटन योग्य नहीं थी। अप्रार्थी ने भी विकेता से भूमि खरीद करने से पूर्व भूमि की मूल किस्म की जानकारी नहीं की है। चूकि उक्त भूमि की मूल किस्म गै.मु.तलाई है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/विकय योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त भूमि का विकय या हस्तान्तरण नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व विकय या हस्तान्तरण प्रारम्भतः ही शून्य है जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के [illegible] जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट [illegible] 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 [illegible] आराजी को पूर्ववत स्थिति गें दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन व विकय को अमान्य किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

6— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी ने प्रश्नगत आराजी खातेदार श्री लक्ष्मीचंद आत्मज धूलीलाल जाति—नाई नि0 सीसवाली से उसकी खातेदारी आराजी ख0नं0 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा ग्राम सीसवाली को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पंजीयन पत्र खरीद की है तथा कब्जा व दखल प्राप्त किया है। उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी के खाते खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि है तथा गत 100 वर्षो से कृषि हो रहीं है। इसी आधार पर अप्रार्थी ने उक्त भूमि क्रय की है। इस भूमि की किस्म कभी भी तलाई व तालाब नहीं रहीं है। भौतिक रूप से उक्त भूमि चारों ओर से कृषि भूमि से घिरीं हुयी है। जिसपर खेती हो रहीं है। इस भूमि पर अप्रार्थी ने कृषि हेतु काफी धन व्यय किया है। वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त भूमि की किस्म गै.मु.तलाई दर्ज है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् विक्रय व अधिकार को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विधि के प्रावधान तथा उच्च न्यायालय की नजीरें है।

साथ ही निवेदन किया कि अप्रार्थी उक्त आराजी पर लगातार काबिज काश्त है तथा तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा गलत कार्यवाहीं कर रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है जो मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में रेफरेंस प्रस्तुत किया है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश को भी लगभग 16 वर्ष पूर्ण हो चुके है, जो भी मियाद बाहर हो चुका है। अब पालना कराया जाना किसी भी सूरत में विधि सम्मत नहीं है। अतः रेफरेंस तहसीलदार, मॉगरोल खारिज फरमाया जावे।

7— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 है0 ग्राम सीसवाली जो अप्रार्थी मदनलाल आत्मज किशोरीलाल जाति—माली निवासी—सीसवाली के खाते दर्ज है, उक्त भूमि सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा से बनी है, जिसकी किस्म गै.मु. तलाई थी। उक्त भूमि ना आवंटन/नियमन योग्य थी ना हीं विक्रय योग्य थी। अप्रार्थी ने उक्त भूमि विक्रेता लक्ष्मीचंद आत्मज धूलीलाल जाति—नाई नि. सीसवाली के जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। विवादित आराजी की वास्तविक मूल किस्म गै.मु.तलाई थी तथा खाता सरकार दर्ज थी, जो भूमि ना तो आवंटन योग्य थी तथा ना हीं विक्रय योग्य। अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन/विक्रय या हस्तान्तरण नियम विरूद्व हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार [illegible] आदेश दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये [illegible] प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/विक्रय को विधि विरूद्व मा[illegible] हुए निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में [illegible] जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:31 IST
Reason: SelfAttested

8— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी श्री मदनलाल आत्मज किशोरीलाल जाति—माली निवासी—सीसवाली के वर्तमान में वाके ग्राम सीसवाली तहसील—मॉगरोल में दर्ज

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आराजी 4008 रकबा 0.98 हैक्टयर किस्म नहरी प्रथम जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व ख0नं0 2248 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा ग्राम सीसवाली से बना है, अप्रार्थी को गलत रूप से विक्रय हुआ है तथा उक्त आराजी खाते दर्ज की गयी है। जिसे निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स *माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे।* इस हेतु तहसीलदार, मॉगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, जयपुर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9– तहसीलदार, मॉगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत *आराजी जो खातेदार मदनलाल आत्मज किशोरीलाल जाति–माली निवासी–सीसवाली* के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी वाके ग्राम सीसवाली खसरा नम्बर 4008 रकबा 0.98 हैक्टयर किस्म नहरी नहरी की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन,बेचान,हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 13.02.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:31 IST
Reason: SelfAttested